IGDTUW – Ist ordinance

891C

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 | भारतसरकार | REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2014/आश्विन 1, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 112

No. 03] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2014/ASVINA 1, 1936 [N.C.T.D. No. 112

भाग—III

PART—III

राष्ट्रीय राजधानीराज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

इंदिरा गांधी दिल्ली, टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन
कश्मीरी गेट, दिल्ली

अधिसूचना

दिनांक 07 अक्तूबर, 2014

फा. 16 (10)/पीएलजी/डीटीयूडब्ल्यू/2013/3142.—इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन के उपकुलपति ने इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन (प्रथम) संविधि 2012 के अनुच्छेद 14 के साथ पठन सहित इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन अधिनियम 2012 (दिल्ली अधिनियम सं. 9, 2012) की धारा 31 की उप-धारा (2) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप-राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन के लिए यूनिवर्सिटी के संकायों एवं विभागों की स्थापना से संबंधित प्रथम अध्यादेश गठित किया है ।

1. **संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ.**—(1) इस अध्यादेश को "इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन 2014 का प्रथम अध्यादेश" कहा जा सकता है ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा ।

2. इसमें निम्नलिखित संकाय और विभागों के समूह होंगे, जिनमें इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन के वर्तमान विभाग भी शामिल हैं जैसे कि :--

1. **इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय :**
   - (i) इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग (विद्यमान);
   - (ii) कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग (विद्यमान);
   - (iii) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (विद्यमान);
   - (iv) मैकेनिकल एवं आटोमेशन इंजीनियरिंग विभाग (विद्यमान) ।
2. **विज्ञान और मानविकी संकाय**
   - (i) शुद्ध एवं प्रयुक्त विज्ञान विभाग (विद्यमान);
   - (ii) मनविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग (प्रस्तावित) ।
3. **आर्किटेक्चर एवं डिजाइन विभाग**
   - (i) शुद्ध एवं प्रयुक्त विज्ञान विभाग (विद्यमान);
   - (ii) डिजाइन अध्ययन विभाग (प्रस्तावित) ।

3. प्रबंधक मंडल को किसी एक या अधिक संकाय (यों)/विभाग(गों) को यूनिवर्सिटी अकादमी परिषद् की सिफारिशों पर स्थापित या हटाने का अधिकार होगा ।

4. प्रत्येक संकाय में एक संकायध्यक्ष (डीन) होगा । संकायाध्यक्षों की नियुक्ति की अवधि, उनके अधिकारों और उनके कार्य, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन (प्रथम) संविधि 2012 के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत लिखे होंगे ।

5. प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होगा । विभागाध्यक्षों की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित विनियमों के अनुसार संबंधित विभागों के प्रोफेसरों/सहायक प्रोफेसरों में से बारी-बारी की जाएगी ।

6. अध्ययन का प्रत्येक विभाग विनियमों द्वारा उनके निर्दिष्ट किए गए प्रोग्रामों के लिए उत्तरदायी होगा ।

एस.एन. झा, रजिस्ट्रार
इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन

INDIRA GANDHI DELHI TECHNICAL UNIVERSITY FOR WOMEN
KASHMERE GATE, DELHI-110006
NOTIFICATION

Dated the 7th October, 2014

F. 16(10)/Plg./IGDTUW/2013/3142.—In excise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 31of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women Act 2012(Delhi Act No. 9 of 2012) read with clause14 of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women (First) Statutes 2012, the Vice Chancellor, Indira Gandhi Delhi Technical University for Women with the prior approval of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the First Ordinance of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women relating to establishment of faculties and departments of the University.

1. **Short Title and Commencement-(1)** This ordinance may be called "First Ordinance of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, 2014".

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

87/c

2. There shall be the following faculties and grouping of departments, including existing departments, of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women; namely :-

1. Faculty of Engineering and Technology :
   - (i) Department of Electronics and Communication Engineering (existing);
   - (ii) Department of Computer Science Engineering (existing);
   - (iii) Department of Information and Technology (existing);
   - (iv) Department of Mechanical and Automation Engineering (existing).
2. Faculty of Sciences and Humanities :
   - (i) Department of Pure and Applied Sciences (existing);
   - (ii) Department of Humanities and Social Sciences (proposed).
3. Faculty of Architecture and Design :
   - (i) Department of Architecture and Planning (proposed);
   - (ii) Department of Design Studies (proposed).

3. Board of Management shall be authorized to establish or abolish any one or more faculty(ies)/department(s) on the recommendations of the Academic Council of the University.

4. There shall be a Dean in eachFaculty.The tenure of appointment of Deans,their powers and functions shall be as laid down under clause 7 of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women (First) Statutes, 2012.

5. There shall be a Head of the Department in each Department. Appointment of Head of Departments shall be for a period of three years by rotation from amongst Professors/Associate Professors in the concerned department as may be prescribed by regulations.

6. Every Department of Studies shall be responsible for those programmes as may be assigned to it by regulations.

S. N. JHA, Registrar

Indira Gandhi Delhi Technical University for Women

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.